देश के लिए.....अव्यवस्था के खिलाफ......

जवाब दो!!!सरकार...

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2019/PALM/02

E-Newsletter, Issued in Public Interest

गुरुवार, 25 अप्रैल 2019

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75 के विपरीत शैक्षणिक संस्थानों से 200 मीटर के दायरे में चल रही है शराब की दूकान

आबकारी अधिकारीयों को लोकेशन स्वीकृति के नाम पर मिलती है मोटी न्योछावर

जैसे ही नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है,आबकारी अधिकारियों की पौ-बारह हो जाती है क्यूंकि उनको शराब की दुकानों के लिए लोकेशन जो पास करनी होती है|यदि शराब लाईसेंसी पूर्व में स्वीकृत लोकेशन पर ही दूकान लगाना चाहता है तो दूकान मालिक

गोपालपुरा बाईपास रोड पर गुर्जर की थडी,करतारपुरा नाले के पास चल रही शराब की दूकान

आबकारी अधिकारीयों को न्योछावर देता है|यदि शराब लाईसेंसी नयी लोकेशन पर शराब की दूकान लगाता है तो स्थानीय जनाक्रोश,शराब की दूकान के 200 मीटर के दायरे में धार्मिक स्थल,अस्पताल,शैक्षणिक संस्थानों को देखते हुए न्योछावर की दर तय होती है जो स्थिति के अनुसार 1 लाख से 5 लाख तक पहुँच जाती है|

दूकान गुर्जर की थडी,गोपालपुरा बाईपास पर करतारपुरा नाले के पास खुल गयी नयी दूकान

गुर्जर की थडी से गोपाल पूरा बाईपास तक का पूरा मार्ग शैक्षणिक हब बन चूका है|जहाँ पर हजारों विद्यार्थी रोज पढने के लिए आते है|परन्तु यहाँ पर भी आबकारी विभाग द्वारा नियम कायदों को ताक पर रख कर अंग्रेजी शराब की दूकान गुर्जर की थडी,गोपालपुरा बाईपास पर करतारपुरा नाले के पास खोल दी गयी है|इस दूकान के 200 मीटर के अंदर कई शैक्षणिक संस्थान,कोचिंग संस्थान संचालित है|जिनमे अभिज्ञान,अभिप्राय,विद्यामंदिर क्लासेज,आई.सी.ए. नामक संस्थान प्रमुख है|

राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 75(1) का हो रहा सरेआम उल्लंघन

राजस्थान आबकारी नियम 75 (1) के अनुसार किसी भी शराब की दुकान के 200 मीटर के अंदर शैक्षणिक संस्थान,धार्मिक स्थल,अस्पताल नहीं होने चाहिए|

महाविद्यालय या सीनियर सेकेंडरी स्कूल स्तर से भिन्न स्तर का संस्थान होने पर सम्बंधित दूकान को ,शैक्षणिक संस्थान के बंद होने के एक घंटे बाद खोलने का नियम है|

गुर्जर की थडी,गोपालपुरा बाईपास पर करतारपुरा नाले के पास संचालित शराब की दूकान के 200 मीटर के दायरे में चलने वाले शैक्षणिक संस्थान